for introduction within the next five years; and

(c) what percentage of the energy consumed in India in the form of non-commercial energy is expected to be replaced by solar and wind energies in the next ten years?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI K. C. PANT): (a) Application of solar and wind energy for various purposes is still in the stage of research and product development. A clear picture of their techno-economic feasibility would emerge only after successful completion of the R&D programmes in progress, preparation of production oriented designs and manufacture and field trials of prototypes of equipment/appliances based on technologies successfully developed.

(b) Technical feasibility of application of solar energy for space heating, water heating and for operating agricultural pumps has been established. At present the solar systems for these applications are being optimised and examination regarding their economic viability is in progress.

(c) It is not expected that the solar and wind energy systems presently being given priority would significantly substitute the use of non-commercial energy in rural areas within the next ten years.

Idukki Hydro-Electric Project

1421. SHRIMATI BHARGAVI THANKAPPAN: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) the original estimated cost of the Idukki Hydro-Electric Project in the State of Kerala;

(b) the total expenditure incurred thereon so far;

(c) the extent of expenditure likely to be incurred further;

(d) the total loss sustained by this plant so far; and

(e) the time by which this plant is expected to break even?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF ENERGY (PROF. SIDDHESHWAR PRASAD): (a) and (b). The Idukki Hydro-Electric Project was originally sanctioned in December, 1962 at an estimated cost of Rs. 49.22 crores.. Subsequently, in the light of pre-construction investigations, the project proposals were revised to augment the scope of the scheme and provide for installation of three units of 130 MW each in the first stage. The Revised Stage I Project was sanctioned in June, 1968 at an estimated cost of Rs. 68.20 crores. The expenditure on the project upto the end of 1973-74 was reported to be Rs. 79.16 crores. The final figures of expenditure during 1974-75 and 1975-76 are awaited from the State authorities.

(c) The information is awaited from the State authorities.

(d) and (e). Profit or loss from a project can only be computed after the project goes into commercial operations, and yields benefits. As Idukki Project was commissioned after February, 1976, this question would arise only in the ensuing year thereafter.

जबलपुर स्थित आर्डनेंस फैक्ट्री में दुर्घटना

1422. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खमरिया, जबलपुर स्थित आर्डनेंस फैक्ट्री में जुलाई, 1976 के मध्य में एक बड़ी दुर्घटना हो गई, जिसके फलस्वरूप कई कर्मचारियों की मृत्यु हो गई और अनेकों घायल हो गए ;

(ख) यदि हां, तो कोई जांच कराई गई है, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या फैक्ट्री के अधिकारियों ने मृतको के परिवारों को कोई सहायता दी है,

(घ) क्या सरकार ने मृतकों के परिवारों के सदस्यो को कारखाने मे रोजगार देने की योजना बनाई है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विठल गाडगिल) (क) आर्डनेंस फैक्ट्री खमरिया म 6 जुलाई 1976 को एक विस्फोट हुआ जिसमे आठ कर्मचारी मर गए और तीन जख्मी हो गए।

(ख) इस बारे मे एक जाच की गई है और उसके निष्कर्षों का अध्ययन किया जा रहा है,

(ग) मृत कर्मचारियों क परिवार क सदस्यों को निम्नाकित सहायता दी गई है —

आर्डनेंस फैक्ट्री खमरिया के 6 कर्मचारी

(1) हरेक को 10 000 ० कर्मचार-मुआवजा अधिनियम के अधीन देय मुआवजे क आशिक भुगतान के रूप म।

(2) हरेक परिवार को सरकार से अनुग्रहपूवक अदायगी क रूप म 2000 पए।

(3) विभिन्न सगठना और निधियों से दान क रूप मे हरेक परिवार का 4502 पए।

आर्डनेंस फैक्ट्री खमरिया का एक सुपरवाइजर

(1) सरकार से अनुग्रहपूर्वक अदायगी के रूप म 2 000 रपए।

(2) विभिन्न सगठना और निधिया से दान क रूप म 4252 रुपए।

(3) मुआवजे की अदायगी की स्वीकृति के लिए कार्रवाई की जा रही है।

आर्मामेंट निरीक्षणालय, खमरिया का एक कर्मचारी

(1) सरकार से अनुग्रहपूर्वक अदायगी के रूप मे 2000 रुपये।

(2) मुआवजे के रूप म मजूर किए गए 21000 रुपए।

(घ) और (ङ) मृत कर्मचारियो की विधवाओं/नजदीकी रिश्तेदारों को नियुक्ति क लिए आदेश पहले ही जारी कर दिए गए है। अन्य दो शोकसन्तप्त परिवारो के बारे मे इसी प्रकार की रोजगार सहायता की व्यवस्था करने क लिए प्रयत्न किए जा रहे है।

सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्मों पर प्रतिबन्ध

1423 **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** . क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सेंसर बोर्ड ने सेंसर नियमों के विरुद्ध अश्लील दृश्यों वाली कतिपय फिल्मों क प्रदर्शन पर रोक लगा दी है, और

(ख) यदि हा तो इन कारणों तथा अन्य कारणों से 1975 और 1976 म अब तक किन-किन फिल्मों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ?

सूचना और प्रसारण मत्रालय में उप-मत्री (श्री धर्मवीर सिंह) (क) और (ख) जी हा। इन फिल्मो की एक सूची सलग्न सभा पटल पर रख दी गयी है [**ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये** सख्या एल/टी 112/4/76] जिन पर अश्लीलता सहित सेंसर सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के उल्लघन के कारण रोक लगाई गई।